न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 153/2023

1 पिंकी कंवर उम्र 40 साल पत्नी मुकेश सिंह पुत्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बहलवान नगर, नंगली सलेदी सिंह खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 किशोर सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह
2 कविता कंवर पत्नी सिंकदर सिंह पुत्र किशोर सिंह
3 अमर बाई पत्नी भंवरसिंह
4 सीरे कंवर पत्नी स्व. मदन सिंह
5 कानसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
6 करण सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
7 प्रताप सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
8 रतन सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
9 सुरजभान पुत्र स्व. मदनसिंह
10 बिमला कंवर पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह पुत्र वधु स्व. मदनसिंह
11 शेरसिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह नवीरा स्व. मदनसिंह
12 पूजा कंवर पुत्री स्व. महेन्द्र सिंह नवीरा स्व. मदनसिंह
13 किरण कंवर पुत्री स्व. मदन सिंह
14 बने सिंह पुत्र सांवत सिंह
15 सुप्यार कंवर पत्नी स्व. जगमाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
16 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नगली सलेदी सिंह जरिये शाखा प्रबंधक।
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2023 उपखण्ड
अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवान
सीरे कंवर बनाम किशोर सिंह वगै. मु.नं. 190/2022

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 190/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां दिनांक 18.08.2022 को एक दावा बाबत खाता विभाजन का वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज किया जाकर वास्ते तलबी हेतु दिनांक 29.09.2022 को विपक्षीगण की तलबी हेतु पेश हो, कि ऑर्डरशीट दर्ज की गई। चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट पिंकी कंवर को वादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया इसलिए दिनांक 31.08.2023 को वादीगण ने न्यायालय हाजा के आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट पिंकी कंवर को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाकर सीधे ही अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति मानकर उपस्थिति दर्ज कर दी और दिनांक 26.09.2023 नियत कर दी और आगे दिनांक 26.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब लिये बिना ही पत्रावली प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब दावा पेश किये जाने हेतु दिनांक 25.10.2023 को नियत की गई और दिनांक 25.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 6 के बिना जवाब के ही विचारण न्यायालय ने वादपत्र स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2023 को जारी कर दी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.10.2023 को अपीलान्ट के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

विरूद्ध प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण के सभी पक्षकारान का एक दावा उनवानी किशोर सिंह वंगै. बनाम सीरे कंवर वगै. के नाम से जिसके मुकदमा नम्बर 105/2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में विचाराधीन था जिसमें दिनांक 31.08.2023 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता भी न्यायालय में प्रस्तुत थे और उक्त प्रकरण में भी वे स्वयं हाजिर थे और उक्त प्रकरण में आगे दिनांक 26.09.2023 नियम की गई जो कि दोनों प्रकरणों में एक ही तारीख थी, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को सभी पक्षकारान के मध्य दूसरे वाद विचारण का पूर्ण रूप से ज्ञान था, चूंकि दोनों वादपत्र एक ही परिवार के सदस्य के बीच है और आपसी विभाजन के वाद है जिनमें दोनों में वादी व प्रतिवादीगण अलग–अलग जमीन के लिए हक व अधिकार बताकर वादपत्र प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने दोनों वादपत्र को एक तारीख मे तो रूख दिया परन्तु वादग्रस्त विषय–वस्तु पर सुना नही जाकर कह दिया कि आगे तारीख पेशियों पर दोनों वादपत्रों को एक साथ करके निर्णय पारित कर दिया जावेगा जिसके बाबत सभी पक्षकारान सहमत हो गये परन्तु विचारण न्यायालय ने उनवानी वादपत्र मे तो प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.10.2023 जारी कर दी और दूसरे वादपत्र को आगे नियत तारीख पेशी दिनांक 01.12.2023 फरमा दी गई। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा कर दिया और आदेश दिनांक 25.10.2023 पारित कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना जवाबदेही के ही तुरंत फुरंत में आदेश दिनांक 25.10.2023 पारित कर दिया गया, इस प्रकार भी विचारण न्यायालय का आशेश दिनांक 25.10.2023 निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि अपीलान्ट ने वादग्रस्त जमीन क्रय की है और स्वयं के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी भी दर्ज की जा चुकी है। इसलिए अपीलान्ट ने अपने हिस्से की जमीन का भी विभाजन करवाये जाने की मंशा से विचारण न्यायालय में निवेदन किया था और जवाब के लिए अवसर चाहा था। परन्तु विचारण न्यायालय के बिना जवाब लिये ही अपने मन मुताबिक ऑर्डरशीट दर्ज कर आदेश

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 25.10.2023 पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2023 से अपीलांट गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि विचारण न्यायालय का आदेश मात्र वादीगण के हिस्से की ही विभाजित करता है। प्रतिवादीगण के हिस्से को विभाजित नहीं करता है। जिस कारण अपीलान्ट को न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 25.10.2023 से गंभीर रूप से प्रभावित है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी राजस्व ग्राम बहलवान नगर संवत 2076—2079 के हाल खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर क्रमशः 239, 325, 326, 719/250, 728/329 कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर भूमि में वादी हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 10 का संयुक्त 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 25/151 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 51/604 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता गणेश कुमार सुरोलिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलान्ट के पास आपत्ति का अवसर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय में शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी राजस्व ग्राम बहलवान नगर संवत 2076—2079 के हाल खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर क्रमशः 239, 325, 326, 719/250, 728/329 कुल किता

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

5 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर भूमि में वादी हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 10 का संयुक्त 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 25/151 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 51/604 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता गणेश कुमार सुरोलिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलान्ट के पास आपत्ति का अवसर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय में शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर